य आपके द्वार राजस्व लोक अदालत

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भदेसर जिला चित्तौड़गढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी–मांगीलाल रेगर , आर.ए.एस.

केम्प भादसोडा

करण संख्या – 55 / 2017 दिनांक : 08 / 06 / 2017

उनवान

केसुगर पिता हजारीगर जी जाति गुसाई उम्र वयस्क निवासी भादसोडा त0 भदेसर

.... प्रार्थी

।। बनाम ।।

1 सालु पिता हरीया गुसाई उम्र वयस्क,निवासी भादसौडा तहसील भदेसर

2 सरकार जरिये तहसीलदार भदेसर जिला चित्तोडगढ।

.... विपक्षी

प्रार्थना पत्र तहत धारा 136 राज. भू0 राज0 अधि. 1956

उपस्थित– श्री प्रवीण जोशी वकील प्रार्थी

नायब तहसीलदार भादसोडा

साराशं विवरण मामला इस प्रकार है प्रार्थी ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि

1. यह कि प्रार्थी के सयुक्त खातेदारी की कृषि आराजीयात वाके मौजा भादसौडा प0 ह0 भादसौडा तहसील भदेसर में स्थित है, जिसके साबिक खाता सं0 549 में दर्ज साबिक आराजि नं0 1911, 1965, 1966 कुल किता 03 कुल रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा लगानी 4.5 रूपये स्थित है जिससे प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा निहित था एवं श्री मोती पिता दयाराम गाडरी निवासी लुहारिया का 1/3 हक हिस्सा एवं मोहनगर पिता कैलाशगर का 1/3 हक हिस्सा निहित था परन्तु दौराने सेटलमेन्ट उक्त आराजियात के नये नं0 2425, 2487, 2488, 2489 किता 04 कुल रकबा 0.9200 है0 दर्ज किया जिसमें मोती पिता दयाराम का 1/3 गाडरी सा. लुहारिया **सालु पिता हरिया**, केसुगर पिता हजारीगर 1/3, मोहनगर पिता कैलाशगर 1/3 सा. देह दर्ज किया गया। साक्ष्य में नकल जमाबंदी संवत 2068 एवं 2072 से 2075 एवं मिलान [illegible] पेश है।
2. यह की प्रार्थी के 1/3 खातेदारी में सेटलमेन्ट [illegible] पिता हरिया का नाम बिना किसी आधार के जोड दिया व इस नाम का कोई भी व्यक्ति [illegible] भादसोडा में निवास नही [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:28:50 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner

है इसलिये प्रार्थी के नाम की खातेदारी की आराजीयात में संहवन से दर्ज हुए खातेदार सालु पिता हरिया का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किया जाना आवश्यक है यह प्रार्थना पत्र राजस्व रेकार्ड में दुरस्ती का पैश है।

3. यह कि प्रार्थी द्वारा अपने नाम की उक्त कृषि भूमी पर केसीसी कराने के लिये पटवार हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त कि तब प्रार्थी को उक्त तुटि की जानकारी हुई जानकारी होते हि उक्त त्रृटी दुरस्त कर शुद्विकरण कराने का यह प्रार्थना पत्र पेश है। जो स्वीकार फरमाया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी से मौका एवं राजस्व रिकार्ड के आधार पर जवाब लिया गया । राजस्व लोक अदालत कैम्प भादसोडा पर विपक्षी की ओर से नायब तहसीलदार भादसोडा द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया कि ग्राम भादसोडा की साबिक रेकार्ड में खाता संख्या 549 पर किता–3 रकबा 4 बीघा भूमि स्थित है जो मोती पिता दयाराम गाडरी 1/3 केशुगर पिता हजारी गर 1/3 मोहनगर पिता कैलाशगर 1/3 सा.देह रेकार्ड में दर्ज थी नवीन सेटलमेन्ट में नेय आराजी नमबर 2425, 2427, 2489, 2488 किता–4 रकबा 0.92 हैक्टैयर बनाये जाकर मोति पिता दयाराम 1/3 गाडरी सा. लुहारिया, सालू पिता हरिया केसुगर पिता हजारी गर 1/3 मोहनगर पिता कैलाशगर 1/3 गुसाई सा0देह दर्ज किया गया है इस प्रकार पुराने के मुकाबले नवीन रेकार्ड में सालू पिता हरिया का नाम बिना किसी आधार के जोडा गया है जो गलत है ।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया । नायब तहसीलदार भादसोडा की रिपोर्ट अनुसार सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थी केसुगर पिता हजारीगर के 1/3 हिस्से में अज्ञात व्यक्ति सालू पिता हरिया का नाम गलत जोडा गया है जों संहवन की गई त्रृटि प्रमाणित होकर दुरूस्ती योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एल0आर0ए0 स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम भादसोडा के साबिक खाता संख्या 549 की आराजी नम्बर 1911, 1965, 1966 किता 3 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा नवीन आराजी नम्बर 2425, 2427, 2489, 2488 किता–4 रकबा 0.92 हैक्टैयर में दर्ज खातेदारान के नाम की प्रविष्ठि में **सालू पिता हरिया** का नाम राजस्व रेकार्ड से विलोपित किये जाने का आदेश दिया जाता है दिगर प्रविष्ठि यथावत रखी जावे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय टंकित कराया जाकर सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.04.06 16:28:50 IST
Reason: SelfAttested

8.6.17

(मांगीलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
भदेसर

उपखण्ड अधिकारी
भदेसर, चित्तौड़गढ

Scanned with CamScanner